763

[2018] 6 एस. सी. आर. 763

क.

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश

वी.

भारत संघ व अन्य

(2017 का हस्तांतरित मामला (सिविल) No.11

आई. ए. No.132315/2017-स्पष्टीकरण/निर्देश) अप्रैल 17,2018

[मदन बी**.** लोकुर**,** कुरियन जोसेफ और दीपाक गुप्ता**,** जे**.** जे।**]**

ग

भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 और संशोधित नियम, 2011 -आर. 8 के रूप में संशोधित-भारत संघ ने भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) में नियुक्तियां करने के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा (एल. सी. ई.) की शुरुआत की-परीक्षा 20.05.2012 से 22.05.2012 तक हुई, हालांकि, इसके परिणाम घोषित नहीं किए गए-इसके बाद, भारत संघ ने वर्ष 2012 में आयोजित एल. सी. ई. को समाप्त करने के लिए 2018 में निर्णय लिया-क्या चयन प्रक्रिया को रद्द करने का भारत संघ का निर्णय कानूनी है या नहीं-आयोजितःकानूनी और वैध-एल. सी. ई. को समाप्त करने का निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया था और इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण या मनमौजी नहीं कहा जा सकता है-उक्त परीक्षा का परिणाम वर्ष 2013 में घोषित होने की उम्मीद थी और अधिकारियों को उसी वर्ष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया होगा-जिन अधिकारियों का चयन वर्ष 2013 में 35 वर्ष या 36 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पर किया गया होगा, वे वर्ष 2018 में 5 वर्ष बड़े होंगे और आई. पी. एस. में उनके शामिल होने या भर्ती में 5 वर्ष से अधिक की देरी हुई होगी-सरकार ने 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तय की थी और 5 वर्ष से अधिक की देरी से ऊपरी आयु सीमा का उद्देश्य, जो भी हो, पराजित हो गया-यदि भारत संघ ने नियुक्तियां की होतीं, तो यह नेतृत्व करता।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

763 ए.

764 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 6 एस. सी. आर.

एल. सी. ई. मुख्य रूप से राज्य पुलिस सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठन से संबंधित व्यक्तियों तक सीमित था-आई. पी. एस. में लाभ, राज्य पुलिस सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठन में परिणामी कमी के कारण शुरू हुआ होगा-एल. सी. ई. को खत्म करने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित है-भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1988 -आर. 3-सेवा कानून।

सेवा कानून-भारत संघ ने आई. पी. एस. में पुलिस अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल. सी. ई.) की शुरुआत की-परीक्षा 20.05.2012 से 22.05.2012 तक हुई, हालांकि, बाद में इसे रद्द कर दिया गया-क्या याचिकाकर्ताओं को चयन के अनुसार परिणामों की घोषणा और नियुक्ति का दावा करने का कोई निहित अधिकार है-आयोजितःयह अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का चयन किया गया है, उस व्यक्ति को नियुक्ति का दावा करने का एक अक्षम्य अधिकार नहीं देता है-तत्काल मामले में, परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और यहां तक कि चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है-याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं था कि परिणाम घोषित किया जाना चाहिए या यदि वे योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।

ग

डी.

मामलों का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** वर्तमान मामलों में**,** सीमित प्रतियोगी परीक्षा **(**एल**.** सी**.** ई**.)** के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।इस प्रकार**,** इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है कि परिणाम घोषित किया जाना चाहिए या यदि वे योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।कानून अच्छी तरह से तय है कि भले ही उम्मीदवारों को नियुक्ति का निहित अधिकार न हो और राज्य रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कर्तव्य या दायित्व के अधीन न हो**,** लेकिन राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य करना होगा और वह मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।चयन प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय ईमानदारी से और उचित और उचित कारणों से लिया जाना चाहिए।**[**पारस **15,16] [772-**जी**-**एच**; 773-**ए**-**बी**]**

ई.

च

जी.

2. तत्काल मामले में**,** इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उम्मीद की जा रही थी कि एल**.** सी**.** ई**.** का परिणाम वर्ष **2013** में घोषित किया जाएगा और अधिकारियों को उसी वर्ष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।जिन अधिकारियों का चयन वर्ष **2013** में **35** वर्ष या **36** वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर किया गया होगा**,** वे अब **5** वर्ष बड़े होंगे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे राज्य पुलिस ए के सदस्य हैं

एच.

765

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

सेवा या केंद्रीय पुलिस संगठन**,** लेकिन आई**.** पी**.** एस**.** में उनके शामिल होने या भर्ती में **5** साल से अधिक की देरी होती है। जब सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी कि ऊपरी आयु सीमा **35** वर्ष थी**,** तो उसके पास ऊपरी आयु सीमा तय करने का कोई कारण रहा होगा।वह उद्देश्य अब विफल हो गया है।**[**पारस **20,21] [774-**डी**,** एफ**-**जी**]3.** यदि संघ नियुक्तियाँ करने के लिए मजबूर होता है**,** तो इससे मुकदमेबाजी की भरमार होगी जहाँ **2013** और **2018** के बीच आई**.** पी**.** एस**.** में भर्ती किए गए व्यक्ति एल**.** सी**.** ई**.** में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा करेंगे। इस तरह की मुकदमेबाजी सार्वजनिक हित में नहीं होगी और इससे कोई बड़ा उद्देश्य हासिल नहीं होगा।वास्तव में**,** इस तरह की मुकदमेबाजी आई**.** पी**.** एस**.** में अधिकारियों के मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। **[**पैरा **22] [774-**एच**; 775-**जी**-**एच**]**

ग

4. संघ ने यह भी दलील दी है कि भले ही रिक्तियों में गिरावट संख्यात्मक रूप से ली जाती है**,** लेकिन प्रतिशत के आधार पर ली जाए तो रिक्तियों में काफी बड़ी गिरावट आती है।इसके अलावा**,** एल**.** सी**.** ई**.** के माध्यम से प्रवेश मुख्य रूप से राज्य

पुलिस सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठन से संबंधित व्यक्तियों तक सीमित है।इस तरह के किसी भी समावेश से इन संगठनों में परिणामी कमी हो जाएगी।आई**.** पी**.** एस**.** में लाभ**,** यदि कोई हो**,** राज्य पुलिस सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठन में परिणामी कमी के कारण होगा।**[**पैरा **23] [775-**बी**-**सी**,** डी**-**ई**]**

डी.

ई.

5. एल**.** सी**.** ई**.** भर्ती को रद्द करने का निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया है।यह बाहरी कारणों से प्रेरित नहीं होता है।निर्णय को मनमाना**,** भेदभावपूर्ण**,** मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह एक उचित निर्णय है।**[**पारस **24,25] [775-**ई**-**जी**]**

च

जय सिंह दलाल बनाम हरियाणा राज्य **(1993) 2** पूरक।

एससीसी 600:[1992] 3 पूरक।एस. सी. आर. 816; विजय कुमार

मिश्रा बनाम पटना में उच्च न्यायालय **(2016) 9**

एससीसी 313:[2016] 3 एससीआर 806; शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47:[1991] 2 एस. सी. आर. 567-संदर्भित।

जी.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1992] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 816** संदर्भित

पैरा **14**

[2016] 3 पैरा **14 [1991] 2** एस**.** सी**.** आर**. 567** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 806** पैरा **16** को संदर्भित

एच.

क.

सिविल मूल अधिकारिता 2017 का हस्तांतरित मामला (सिविल) सं. 11

भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए (1) के तहत

टी. सी. (ग) 2017 टी. सी. की संख्या 12,13,16-20,46,268,48,50 और 49। (ग) 2017 की आई. ए. संख्या 108931 के साथ 2017 की संख्या 23-हस्तक्षेप आवेदन।

आर. वेंकटरमानी, सुश्री ज्योति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अनीता शेनॉय, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, प्रवीण विग्नेश, सुश्री रेम्या राज, सुदर्शन राजन, अमनदीप जोशी, सुश्री जयश्री नरसिम्हन, हिमांशु गौतम, महेश कुमार, पद्मना कुमार एस., सुश्री उषा नंदिनी वी., अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

ग

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, टी. ए. खान, सुश्री रश्मि मल्होत्रा, बी. वी. बलरामदास, ओम प्रकाश शुक्ला, यजुर शर्मा, सुश्री दिशा वैश, सुश्री सुषमा सूरी, नरेश कौशिक वर्धमान कौशिक, आकाश महापात्रा, ओमंग राज गुप्ता, मनोज जोशी, निशांत गौतम, कर्ण देव बघेल, देविक सिंह, श्रीमती ललिता कौशिक, श्री प्रकाश सिन्हा, राकेश मिश्रा, सुश्री महुआ सिन्हा, नवलेंद्र कुमार, हृषिकेश बरुआ, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता जे. 1.इस निर्णय से हम यह तय करेंगे कि क्या भारत संघ द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संक्षेप में 'आई. पी. एस.') में नियुक्तियां नहीं करने का लिया गया निर्णय, जो कि 'आई. डी. 2' से 'आई. डी. 1' तक की गई सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा (संक्षेप में 'एल. सी. ई.') के अनुसार है, कानूनी और वैध है।

च

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने श्री कमल कुमार, आई. पी. एस. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। (सेवानिवृत्त) रिक्तियों को भरने सहित विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देना।समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि भर्ती के सामान्य तरीकों यानी वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा और राज्य पुलिस सेवाओं से पदोन्नति के माध्यम से आई. पी. एस. में सीधी भर्ती के अलावा, सीमित प्रतियोगी परीक्षा की तीसरी विधि ए.

जी.

एच.

767

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

पेश किया जाना चाहिए।राज्य पुलिस सेवा में सीधे भर्ती किए गए पुलिस उपाधीक्षक और केंद्रीय पुलिस सेवा में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा के साथ उनके समकक्ष 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन इस परीक्षा के लिए पात्र थे।यह भी सिफारिश की गई थी कि एल. सी. ई. के माध्यम से किसी भी वर्ष में 65 से अधिक अधिकारियों की भर्ती नहीं की जानी चाहिए और इस चैनल के माध्यम से भर्ती को 7 साल की अवधि में अलग-अलग करना पड़ सकता है।सरकार ने रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) में संशोधन करके एल. सी. ई. के माध्यम से भर्ती की एक विधि शुरू की। राज्य पुलिस सेवा, केंद्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी और पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सेना के अधिकारी एल. सी. ई. में उपस्थित होने के हकदार थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि एल. सी. ई. को (बी) नीचे (ए) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती और ऊपर (सी) राज्य पुलिस सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति पर रखा गया था।नियम 8, जैसा कि संशोधित किया गया है, बशर्ते कि एल. सी. ई. ऐसे अंतरालों पर आयोजित किया जाएगा जो केंद्र सरकार समय-समय पर संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यू. पी. एस. सी.') के परामर्श से निर्धारित कर सकती है।इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि आई. पी. एस. नियमों के संदर्भ में, आई. पी. एस. अधिकारियों की वरिष्ठता आवंटन के वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाती है और भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1988 के नियम 3 में प्रावधान है कि प्रत्यक्ष भर्ती के आवंटन का वर्ष उस वर्ष के बाद का वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी।यह विवादित नहीं है कि आवंटन के वर्ष को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए एल. सी. ई. के माध्यम से चुने गए व्यक्तियों को सीधे भर्ती की तरह ही नियम द्वारा कवर किया जाएगा।नतीजतन, उसी वर्ष नियुक्ति करने वाले अधिकारियों में, अंतर वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः

ग

डी.

ई.

1. सीधी भर्तियाँ

च

2. एल. सी. ई. नियुक्तियां

3. राज्य पुलिस सेवा के पदोन्नत अधिकारी 3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधित नियम, 2011 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“1. XXX

XXX

XXX

2.भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 (इसमें-बाद में प्रमुख नियम के रूप में संदर्भित) में, उप-नियम (1) में नियम 4 में, खंड (बी) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

“(ख) सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा; (ग) राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।"

XXX

XXX

XXX

3. मुख्य नियमों में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“8. सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती -

(1) सेवा में भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाएगी जो केंद्र सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से निर्धारित करे।

ग

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे विनियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी जो केंद्र सरकार समय-समय पर आयोग और राज्य सरकार के परामर्श से बनाती है।

डी.

(3) XXX XXX "

4. नियमों में उपरोक्त संशोधन के अनुसार, यूपीएससी ने संशोधित नियमों के अनुसार एलसीई के माध्यम से आईपीएस में पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए 10.03.2012 पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया।इसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किए गए लेकिन आज तक उनके परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।

ई.

5. नियमों में संशोधन को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी।दिल्ली उच्च न्यायालय में 2012 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1610 के नाम से एक याचिका दायर की गई थी जिसका शीर्षक ज़कात फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका जनहित में दायर की गई थी और याचिकाकर्ता का तर्क था कि एल. सी. ई. के लिए प्रावधान करने वाले प्रावधान मनमाने और असंवैधानिक थे और सरकार को यू. पी. एस. सी. के माध्यम से सामान्य सीधी भर्ती के माध्यम से आई. पी. एस. की भर्ती बढ़ानी चाहिए। इस याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एल. सी. ई. के माध्यम से भर्ती की एक नई पद्धति की शुरुआत एक नीतिगत निर्णय था जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि कई राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था; कि यूपीएससी और अन्य निकायों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी और इसलिए, संशोधन अवैध था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या इस प्रणाली ने ए की शुरुआत की है।

च

जी.

एच.

769

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

इस संशोधन से सबसे अच्छा या बेहतर विकल्प हो सकते हैं।इसने नोट किया कि यूपीएससी ने शुरू में संशोधन का विरोध किया था।इसने केंद्रीय पुलिस संगठन और राज्यों के आरक्षण पर भी ध्यान दिया था कि इसके परिणामस्वरूप राज्य में पुलिस अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों की कमी होगी।हालांकि, अदालत ने कहा कि वह सरकार के फैसले को केवल इस आधार पर रद्द या अमान्य नहीं कर सकती कि यह बहुत बुद्धिमान निर्णय नहीं था और बेहतर विकल्प थे।

6. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि संशोधित नियमों को इस न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 326 में चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता यह नहीं दिखा सके कि वे नियमों में संशोधन से कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।

ग

7. असम पुलिस सेवा के कुछ पुलिस अधिकारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'कैट'), गुवाहाटी पीठ में 2012 का मूल आवेदन दायर किया, जिसमें एल. सी. ई. को पेश करने वाले संशोधन को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई कि राज्यों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था; कि संशोधन मनमाना और अनुचित था और मुख्य चुनौती अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित करने के संबंध में थी, जबकि कमल कुमार समिति की सिफारिश 45 वर्ष थी।असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना और इस आधार पर भी कि राज्य पुलिस अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर संशोधित नियमों द्वारा संक्षिप्त थे और इसलिए, नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे थे, कैट ने अपने दिनांकित 14.09.2012 के आदेश के माध्यम से 2011 के संशोधित नियमों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया।कैट के इस निर्णय को भारत संघ द्वारा 2012 की रिट याचिका (सिविल) No.4880 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।एल. सी. ई. में उपस्थित कुछ व्यक्तियों ने कैट के फैसले को चुनौती देते हुए 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5337 के रूप में एक रिट याचिका भी दायर की थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कैट के आदेश को दरकिनार कर दिया और संशोधित नियमों को वैध ठहराया।

डी.

ई.

च

जी.

8. यह उल्लेख करना उचित होगा कि न तो ज़कात फाउंडेशन में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और न ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है और इस प्रकार यह अंतिम रूप ले चुका है।लेकिन, बात यहीं खत्म नहीं होती।विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं।यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं होगा कि

एच.

अल्पकालिक सेवा आयोग में लगे सशस्त्र बलों के कुछ सदस्यों को इस आधार पर परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी कि वे अपनी सेवा का कार्यकाल पूरा करने से पहले सशस्त्र बलों को नहीं छोड़ सकते थे।उन्होंने यह प्रार्थना करते हुए रिट याचिकाएं भी दायर कीं कि उन्हें परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, भारत संघ ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित 17 मामलों के हस्तांतरण के लिए 2015 की स्थानांतरण याचिका (दीवानी) संख्या 272-287 और 2017 की स्थानांतरण याचिका (दीवानी) No.1555 दायर की।17 मामलों के हस्तांतरण के लिए नोटिस जारी किया गया और उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।हालाँकि, उच्च न्यायालयों द्वारा 3 मामले इस आधार पर नहीं भेजे गए थे कि या तो उनका पहले ही निपटारा कर दिया गया है या उन्हें इस मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं है।इसलिए, 14 स्थानांतरण याचिकाओं को सुनवाई के लिए इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।यह उल्लेख किया जा सकता है कि जहां तक 2017 के हस्तांतरित मामले (दीवानी) संख्या 50 का संबंध है, यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है और इसलिए यह निष्फल हो गया है।

ग

9. इस न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाताओं को सेवा देने में लंबा समय लगा और 12.12.2017 पर, जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

डी.

"अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह मंत्रालय से इन मामलों में उठाए गए मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ और समय मांगा है।हम गृह मंत्रालय को आज से दो सप्ताह के भीतर अपने रुख को सकारात्मक रूप से अंतिम रूप देने का निर्देश देते हैं।

ई.

इन मामलों को 08.01.2018 पर पोस्ट करें।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर यह प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए U.P.S.C के लिए खुला होगा, जिससे यह इन हस्तांतरित मामलों के परिणाम के अधीन हो जाएगा।"10. 08.01.2018 पर, भारत संघ ने एक हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।आई. डी. 1 पर दायर और गृह मंत्रालय के उप सचिव श्री एस. के. रस्तोगी द्वारा पुष्टि किए गए इस हलफनामे से अदालत को सूचित किया गया कि हलफनामे में उल्लिखित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, भारत संघ ने वर्ष 2012 में आयोजित एल. सी. ई. को रद्द करने का निर्णय लिया था।एल. सी. ई. में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने भारत संघ के इस निर्णय का विरोध किया है और इस स्तर पर, हमने केवल इस मुद्दे पर तर्क सुने हैं कि चयन प्रक्रिया को रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय कानूनी है या नहीं।

च

जी.

एच.

771

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

क.

11. एल. सी. ई. को समाप्त करने के अपने निर्णय के समर्थन में, भारत संघ ने प्रस्तुत किया है कि एल. सी. ई. आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरना था।भारत संघ के रुख के अनुसार, जब कमल कुमार समिति का गठन किया गया था, तो आई. पी. एस. में लगभग 30 प्रतिशत पद खाली थे।वर्षवार सारणीकरण इस प्रकार हैः

वर्ष	अधिकृत शक्ति	स्थिति में	रिक्तियां	%
01.01.2012	3277	2536	741	22.61
01.01.2013	3277	2574	703	21.45
01.01.2014	3275	2617	658	20.09
01.01.2015	3293	2685	608	18.46
01.01.2016	3327	2744	583	17.52
01.01.2017	3356	2802	554	16.5
01.01.2018	3423	2887*	536*	15.65

ग

*लगभग

डी.

12. भारत संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने तर्क दिया है कि रिक्तियों का प्रतिशत कम हो गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2012 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को उसी वर्ष के प्रत्यक्ष भर्ती आई. पी. एस. अधिकारियों के तुरंत नीचे रखा जाएगा और बाद की भर्तियां प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की गई हैं और इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता के संबंध में बहुत सारे मुकदमे हो सकते हैं।यह भी तर्क दिया जाता है कि यह विचार किया गया था कि एल. सी. ई. की प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों की आयु लगभग 35 वर्ष होगी, लेकिन अब समय बीतने के साथ परिणाम घोषित होने पर भी उनमें से कई की आयु 40 वर्ष से अधिक हो सकती है जिससे भारतीय पुलिस सेवा में उनके कामकाज में बाधा आएगी।भारत संघ का मुख्य तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और केवल चयन उन्हें ऐसा अधिकार नहीं देता है।13. एल. सी. ई. में उपस्थित व्यक्तियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि भले ही कोई निहित कानूनी अधिकार न हो, फिर भी उक्त आवेदकों को नियुक्त किए जाने की वैध अपेक्षा है।उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ परिस्थितियों में सरकार चयन प्रक्रिया को रद्द कर सकती है, लेकिन यह रद्द तभी किया जा सकता है जब जनहित सर्वोपरि हो।उनका समर्पण

ई.

च

यह है कि विचाराधीन हलफनामा इस तरह का कोई प्रमुख ब्याज नहीं दिखाता है।एल. सी. ई. के कुछ उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. वेंकटरमानी ने कहा कि सरकार को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए और हलफनामा यह खुलासा करने में विफल रहता है कि परीक्षा को रद्द करने से सार्वजनिक हित या उच्च उद्देश्य क्या है।उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए कारण जनहित या उच्च उद्देश्य की कसौटी को पूरा नहीं करते हैं और इस तरह, परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और यूपीएससी को परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और भारत संघ को परिणाम के अनुसार नियुक्तियां करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

ग

14. पहला मुद्दा यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई निहित अधिकार है कि परिणाम घोषित किया जाना चाहिए और यदि याचिकाकर्ताओं का चयन किया जाता है, तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।जय सिंह दलाल बनाम हरियाणा राज्य 1 के मामले में इस अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि सरकार ने नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए यूपीएससी को एक अनुरोध भेजा था, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार में कोई निहित अधिकार नहीं बनाया।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जिस प्राधिकारी के पास भर्ती की विधि निर्दिष्ट करने की शक्ति है, उसे इसे संशोधित करने और प्रतिस्थापित करने की शक्ति होनी चाहिए।हालाँकि, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने की आवश्यकता हो सकती है।इस दृष्टिकोण का बड़ी संख्या में मामलों में पालन किया गया है।विजय कुमार में

डी.

ई.

मिश्रा बनाम पटना में उच्च न्यायालय 2, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

चयन और नियुक्ति के बीच अंतर है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति, जो चयन प्रक्रिया में सफल होता है, स्वचालित रूप से नियुक्त होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है।

च

15. इस प्रकार, यह अच्छी तरह से तय है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का चयन किया गया है, उस व्यक्ति को नियुक्ति का दावा करने का अक्षम्य अधिकार नहीं देता है।जहां तक वर्तमान मामलों का संबंध है, परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है कि परिणाम घोषित किया जाना चाहिए या यदि वे योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।

जी.

1 1993 सप.(2) एससीसी 600 2 (2016) 9 एससीसी 313 ए

एच.

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

16. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही उम्मीदवारों को नियुक्ति का निहित अधिकार न हो और राज्य रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कर्तव्य या दायित्व के अधीन न हो, लेकिन राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य करना होगा और वह मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।चयन प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय ईमानदारी से और उचित और उचित कारणों से लिया जाना चाहिए।इस संबंध में, हम मामले का संदर्भ दे सकते हैं।

शंकरसन दास बनाम भारत संघ 3.

17. परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की ओर से, प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को लागू करने का एक कमजोर प्रयास किया गया था।हमारे विचार में, उक्त सिद्धांत वर्तमान मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि वादा रद्द करने का सिद्धांत केवल उस व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जिसने उसे दिए गए वादे के आधार पर अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया है।वर्तमान मामलों में यह स्थिति नहीं है।सभी उम्मीदवार राज्य पुलिस या केंद्रीय पुलिस संगठन या सेना में सेवारत हैं।चयन प्रक्रिया से उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और इसलिए, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

ग

डी.

18. सरकार के फैसले के खिलाफ मुख्य हमला इस आधार पर है कि उम्मीदवारों को एक वैध उम्मीद थी कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अनुसार, उनका परिणाम घोषित किया जाएगा और यदि सफल पाया जाता है, तो उन्हें नियुक्त किया जाएगा। यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि भले ही कोई निहित अधिकार न हो, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।वैध अपेक्षा तब उत्पन्न होती है जब नागरिक उम्मीद करते हैं कि उन्हें राज्य द्वारा घोषित किसी नीति या निर्णय के तहत लाभ होगा।साथ ही, कानून अच्छी तरह से तय है कि विधानमंडल और कार्यपालिका अच्छे कारणों से किसी भी नीति को बदल सकते हैं।ये अच्छे कारण ऐसे होने चाहिए जो मनमाने न हों, जो दुर्भावनापूर्ण न हों और निर्णय जनहित में लिया गया हो। यदि नीति को बदलने का निर्णय मनमाना या मनमौजी है तो इसे रद्द किया जा सकता है।

ई.

च

जी.

19. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हम परीक्षण कर सकते हैं कि एल. सी. ई. द्वारा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लेने में सरकार की कार्रवाई एक मनमाना निर्णय है या नहीं।सरकार द्वारा अपने निर्णय के समर्थन में दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

3 (1991) 3 एस. सी. सी. 471

एच.

774

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 6 एस सी आर।

1. रिक्तियों का प्रतिशत कम हो गया है।

2. चयन प्रक्रिया में कई वर्षों की देरी हुई है जिसका अर्थ होगा कि चयनित व्यक्ति अपेक्षा से कम से कम 5 वर्ष बड़े होंगे।

3. कि कई याचिकाएं अभी भी लंबित हैं और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे और देरी हो सकती है; और 4. यह आशंका है कि एल. सी. ई. के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवारों और 2012 से 2018 के दौरान सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों के बीच मुकदमेबाजी होगी।

ग

20. श्री डेव और श्री वेंकटरमानी दोनों ने संघ द्वारा प्रत्येक आधार पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है, लेकिन हमारा विचार है कि यह सभी आधारों का संयुक्त प्रभाव है जिसे ध्यान में रखना होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उम्मीद की जा रही थी कि परिणाम वर्ष 2013 में घोषित किया जाएगा और अधिकारियों को उसी वर्ष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।हम वर्ष 2018 में हैं और इस न्यायालय में स्थानांतरित किए गए कुछ मामलों की सुनवाई अभी बाकी है।यह आग्रह किया गया कि विवाद का फैसला गुवाहाटी उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए।यह सच हो सकता है कि इन दोनों न्यायालयों ने नियमों की वैधता को बरकरार रखा है और भारत संघ ने इन दो मामलों में निर्णयों को चुनौती नहीं दी है, लेकिन हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि कई अन्य याचिकाएं लंबित हैं और न तो यह न्यायालय और न ही अन्य उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य हैं।अगर हमें केंद्र सरकार के रुख को स्वीकार नहीं करना है तो इन मामलों का फैसला करना होगा।इससे मामले में और देरी हो सकती है।

डी.

ई.

च

21. जिन अधिकारियों का चयन वर्ष 2013 में 35 वर्ष या 36 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर किया गया होगा, वे अब 5 वर्ष बड़े होंगे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे राज्य पुलिस सेवा या केंद्रीय पुलिस संगठन के सदस्य हैं, लेकिन आई. पी. एस. में उनके शामिल होने या भर्ती में 5 साल से अधिक की देरी होती है।जब सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी कि ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष थी, तो उसके पास ऊपरी आयु सीमा तय करने का कोई कारण रहा होगा।वह उद्देश्य अब विफल हो गया है।

जी.

22. हम इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकते हैं कि यदि संघ को नियुक्तियां करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इससे मुकदमेबाजी की भरमार होगी जहां 2013 और 2018 ए के बीच आई. पी. एस. में भर्ती किए गए व्यक्ति

एच.

775

एल. टी. सी. डी. आर. एम. रमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे.]

एल. सी. ई. में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा करेंगे। हम इस मुद्दे के गुण-दोष में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आसानी से बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी की कल्पना कर सकते हैं जो सभी संभावनाओं में आगे बढ़ेगी, जहां आई. पी. एस. के सदस्य एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा करेंगे।इस तरह की मुकदमेबाजी सार्वजनिक हित में नहीं होगी और इससे कोई बड़ा उद्देश्य हासिल नहीं होगा।वास्तव में, इस तरह की मुकदमेबाजी आई. पी. एस. में अधिकारियों के मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है।

23. संघ ने यह भी दलील दी है कि हालांकि रिक्तियों में गिरावट, जब संख्यात्मक रूप से ली जाती है, तो बहुत अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन जब प्रतिशत के आधार पर ली जाती है, तो रिक्तियों में काफी बड़ी गिरावट आती है।उस समय जब कमल कुमार समिति का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट आने तक आई. पी. एस. में 30 प्रतिशत पद खाली पड़े थे।जब नियम

लागू किए गए थे, 22.61% पद खाली थे।01.01.2018 पर, 15.65% पद खाली हैं और इसलिए, निश्चित रूप से रिक्तियों के प्रतिशत में गिरावट आई है।यह आग्रह किया गया कि अब भी बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं और इसलिए सरकार का निर्णय तर्कहीन है।हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते।इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एल. सी. ई. के माध्यम से प्रवेश मुख्य रूप से राज्य पुलिस सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठन से संबंधित व्यक्तियों तक सीमित है।इस तरह के किसी भी समावेश से इन संगठनों में परिणामी कमी हो जाएगी।आई. पी. एस. में लाभ, यदि कोई हो, राज्य पुलिस सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठन में परिणामी कमी के कारण होगा।

ग

डी.

ई.

24. जब हम केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की समग्र रूप से जांच करते हैं, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एल. सी. ई. भर्ती को रद्द करने का निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया है।यह निर्णय निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं है।यह बाहरी कारणों से प्रेरित नहीं होता है।यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय मनमाना है।

च

25. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, एल. सी. ई. के माध्यम से आई. पी. एस. में भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करने के सरकार के निर्णय को मनमाना, भेदभावपूर्ण या मनमौजी नहीं कहा जा सकता है।निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक उचित निर्णय है।26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्थानांतरित किए गए सभी मामलों को निष्फल बना दिया गया है और तदनुसार उनका निपटारा किया जाता है।स्पष्टीकरण/निर्देश के साथ-साथ हस्तक्षेप के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

अंकित ज्ञान

मामलों का निपटारा किया गया।

एच.